DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(PARLIAMENT CELL)
Room No.31, Punarvas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

No. DD/PC/DUSIB/D- 255 **dated:** 31/12/21

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o Un-Starred question no. 140 dated 04/01/2022.

Please find enclosed herewith **100 copies** of reply of Un- Starred question no. 140 raised by Sh. Mahender Yadav, MLA, duly approved by the Competent Authority.

Director (PC)
Phone No. 23378485

Copy to:-

Director(DIP) along with **150 copies.**

Scanned with CamScanner

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
संसद प्रकोष्ट

पुनर्वास भवन, कमरा न0-31
आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्याः- 140
दिनांकः- 04-01-2022
प्रश्नकर्ता का नामः— श्री महेन्द्र यादव ,माननीय विधायक

क्र०	प्रश्न	उत्तर
क	विकासपुरी विधान सभा में राजीव गाँधी आवास योजना बापरोला के तहत तैयार तथा जर्जर व खाली पड़े हजारों फ्लैट्स को लेकर सरकार की क्या योजना है;	विकासपुरी विधान सभा में राजीव आवास योजना बापरोला के तहत तैयार व खाली पड़े फ्लैट्स को दिल्ली झुग्गी झोपडी पुनर्वास और स्थानांतरण नीति 2015, जिसका नाम बदलकर अब 'मुख्यमंत्री आवास योजना' कर दिया गया है के अंतर्गत In-situ Up gradation के तहत विकासपुरी विधान सभा तथा आस पास स्थित झुग्गीवासियों को आवंटित करने की योजना है। परन्तु भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 31.12.2020 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, जे.एन.एन.यू.आर.एम. / राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के तहत निर्मित सभी मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली / अधूरे घरों को शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किराये के आवास के रूप में उपयोग करने के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए. आर. एच. सी.) योजना में परिवर्तित किया जाना है जिसका उपयोग ए.आर.एच.सी. योजना के तहत केवल शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किराये के आवास के रूप में किया जाना है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना (ARHCs) की भारत सरकार की नीति के संबंध में इस कार्यालय ने पत्र दिनांक 22.03.2021 के तहत ए. आर. एच. सी योजना के प्रावधान से कुछ जेजे बस्ती, जिनसे पूर्ण या आंशिक रूप से स्थानांतरण शुल्क पहले ही प्राप्त हो चुके हैं या कुछ अदालती निर्देश जारी किए गए हैं, के प्रस्तावित पुनर्वास स्थलों को बाहर रखने के लिए अवर सचिव, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया। तदुपरांत, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 09.09.2021 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिल्ली सरकार के दिनांक 22.03.2021 के अनुरोध को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और यह दोहराया गया है कि दिल्ली में जे.एन.एन.यू.आर.एम./आर.ए.वाई. के तहत निर्मित/निर्माणाधीन 48,754 घर शहरी प्रवासियों/ ई.डब्ल्यू.एस./ एल.आई.जी. श्रेणी के गरीबों के लिए ए.आर.एच.सी. योजना के परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसार किराये के आवास के रूप में उपयोग किया जाएगा। दो अनुस्मारक पत्र माननीय मंत्री (शहरी विकास) की अनुमति से दिनांक 25.10.2021 तथा 07.12.2021 को भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। उन पत्रों का उत्तर अपेक्षित है।

		अतः भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पुनर्वास/आवंटन योजना को भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.12.2020 एवं पत्र दिनाक 09.09.2021 के अनुसार ए. आर. एच. सी योजना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने के उपरांत ही मूर्त रूप दी जा सकेगी ।
ख	क्या सरकार की इन्हें किराये पर देने की कोई योजना है ; और	उपरोक्त (क) के अनुसार !
ग	यदि नहीं, तो इन फ्लैट्स को कब और किसे आवंटित किया जाएगा?	उपरोक्त (क) के अनुसार !

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

निदेशक (संसद प्रकोष्ट)

उप-सचिव(प्रश्न शाखा),पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.